न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०–.......06......./20.19.........

धारा–107 द०प्र०सं०

राखी हरि साहु .... बनाम ....परशुराम पुरान वगैरह........................

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तरीख सहित
	अभिलेख सं0–एम.......06....../20.19....., में द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत थाना प्रभारी ,...सोनाहातु......... के अप्राथमिकी सं०–...04/19...................... दिनांक–27.01.19... के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि जमीन विवाद को लेकर उभय पक्ष में विवाद है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि ....25/02/19.................. को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) 14/02/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)। (हस्ताक्षर) 14/02/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)।	

क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तरीख सहित
20-09-19	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष क्रमांक 05 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी। प्रथम पक्ष गवाही हेतु उनके अधिवक्ता द्वारा अगली तिथि की मांग की गई। दिनांक 04-10-19 को रखें। 20/9/19	
04-10-19	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित द्वितीय पक्ष क्रमांक 05 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी। प्रथम पक्ष गवाही हेतु दिनांक 25-10-19 को रखें। 4/10/19	
25-10-19	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित द्वितीय पक्ष क्रमांक 05 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... कार्रवाई ... तारीख सहित
	चुकी है अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद के अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 25/10/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू (राँची) 25/10/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू (राँची)	

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2022.02.12 15:21:49 +05:30
Location: 10.93.79.5